निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय

टॉउन वेंडिंग कमेटी चुनाव

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

नई दिल्ली -110001

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10.01.2018 को रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित स्ट्रीट वेण्डर्स (आजीविका का संरक्षण तथा स्ट्रीट वेंडिंग विनियम) नियमावली, 2017 के अनुसार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र हेतु फर्स्ट टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। जनोदय एकता समिति (पंजी.) के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, डब्ल्यू.पी.सी. नं. 6622/2015 दिनांक 05-09-2017 तथा अधिसूचित नियमावली के नियमों में चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने हेतु स्ट्रीट वेंडर्स पात्र होंगे। तदानुसार वोटर्स जो वोट डालने के लिये पात्र है, की सूची निर्वाचन अधिकारी के नोटिस बोर्ड तथा प्रवर्तन विभाग में उपलब्ध होने के अतिरिक्त दिनांक 27-03-2018 को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी।

टीवीसी में आरक्षण स्ट्रीट वैण्डर अधिनियम 2014 तथा स्ट्रीट वेंडर्स नियमावली,2017 में अधिसूचित के अनुसार होगा।

अनुसूची के अनुसार चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने हेतु, वोटर के पास मूल दस्तावेजों जैसे वोटर-आई कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड तथा अन्य कोई अधिकृत वोटर आई डी जिसकी सामान्य चुनावों में अनुमति हो, होगा। वोटर को दी गई तहबाजारी या लाईसेंस अथवा वर्ष 2007 योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा कराने के समय जारी की गई रु.100/- की मूल रसीद को भी साथ लेकर आएगा। कोई वोटर जो मूल दस्तावेज जैसे वोटिंग के लिये वैध पहचान पत्र तथा तहबाजारी/लाईसेंस अथवा रु. 100/- की मूल रसीद नहीं लाता है तो उसे चुनाव प्रकिया में वोट/भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मृत/मृतक, वेंडर्स/हॉकर्स के आश्रितों/उत्तराधिकारियों तथा ऐसे मामले जहॉ लाईसेंस समाप्त/रद्द हो चुका है, टी.वी.सी. के चुनाव में पोलिंग हेतु योग्य/पात्र नहीं है।